

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- ४०६२-६/अ०५०-१-१/२०२५ 7203

/पटना, दिनांक:- 02/07/2025

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, कार्य प्रक्षेत्र
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन कनीय/सहायक /कार्यपालक अभियंताओं के स्थानान्तरण के उपरान्त विरमित होने के पूर्व सभी मदों में क्रियान्वयन किये जा रहे योजनाओं का अद्यतन मापी मापीपुस्त में दर्ज कर विरमित होने के संबंध में।

महाशय,

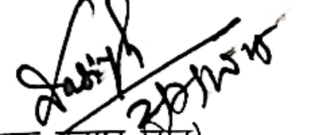
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन जून 2025 में जिन कनीय/सहायक /कार्यपालक अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया है, वो सभी अभियंतागण अपने क्षेत्राधीन सभी क्रियान्वित किये जा रहे योजनाओं का मापी मापीपुस्त में बिना दर्ज किये विरमित नहीं होंगे।

मापी पुस्त में अद्यतन प्रविष्टि नहीं होने की स्थिति में नए पदपस्थापित किये गये अभियंता को आगे का कार्य कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। विशेष रूप से Foundation/ Reinforcement एवं वैसे कार्य जिसके परत के ऊपर दूसरे परत का कार्य हो गया है, इन कार्यों की वास्तविक मापी / गणना कार्य के दौरान पदस्थापित अभियंता के द्वारा ही किया जाना संभव है।

अतः निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधीन सभी मदों से क्रियान्वित योजनाओं एवं अनुरक्षण कार्य का अद्यतन मापी पुस्त अधिकतम 15 दिनों के अन्दर दर्ज करने के उपरान्त ही विरमित होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ६०६०-६/अ०५०-१-१/२०२५ 7203

/पटना, दिनांक:- 02/07/2025

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- ६०६०-६/अ०५०-१-१/२०२५ 7203

/पटना, दिनांक:- 02/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय को अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

